न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 170 / 2025

उनवान

1. राधा पत्नि उंकार,
2. कमला पत्नि किशना,
3. नौसर पत्नि रामलाल,
4. गीता पत्नि लक्ष्मण जातिगण गुर्जर निवासी लेवरा नसीराबाद

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री नवीन गुर्जर

बनाम

1. नोरत पुत्र कालू,
2. सांवरा पुत्र कालू जातिगण जाट निवासी मोडी, नसीराबाद
3. उप पंजीयन अधिकारी महोदय, तहसील कार्यालय नसीराबाद,
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 3 व 4 जरिये राज0 पैरोकार, शेष अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 26.11.25

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम व प.म. लवेरा की निम्न आराजी वादीगण की कयशुदा खातेदारी व कब्जे काश्त की है :–

वंर्किग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
223	0–3–0	371	0.02
224	15–3–0	372	0.33
		373	0.63
		374	0.55
		375	0.27
		376	0.45
		363 / 2773	0.22
225	2–4–0	363	[illegible]
227	3–7–0	364	[illegible].28
		365	[illegible]
		351	[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.01 17:07:02 IST
Reason: SelfAttested

उक्त आराजी सम्वत् 2062 से 205 में पांची पत्नी सूजा 2/3 हि. व कालू पुत्र कजोड 1/3 हि. खातेदारी में दर्ज थी। कालू पुत्र कजोड दिनांक 16.1.03 को फौत [illegible]या है। उसके विधिक वारिस सायरी पत्नी कालू, नोरत, सांवरा पि. कालू है। सायरी पत्नी कालू की मृत्यु कालू

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

पुत्र कजोड से पूर्व दिनांक 11.1.03 को हो गयी है। इस प्रकार कालू के 1/3 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक व अधिकार निहित हो गये थे। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने आराजी मुतनाजा में अपना हिस्सा जरियें पंजीब, विक्रय पत्र दिनांक 14.07.2006 को वादीगण को विक्रय कर दिया है। क्रय दिनांक से वादीगण उक्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त तथ्यों की ताइईद प्रतिवादी सांवरा पुत्र कालू द्वारा वादीगण के पक्ष में दिनांक 5.7.22 को निष्पादित शपथ पत्र से भी होती है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा आराजी मुतनाजा का 1/3 हिस्सा वादीगण को विक्रय करने के बाद भी राजस्व अभिलेख में भूमि वादीगण के नाम दर्ज नही होने के कारण प्रतिवादीगण द्वारा आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी की जा रही है। साथ ही भूमि को अन्यत्र हसतांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बावजूद तामीली प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज0 पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण का कोई खण्डन नही होने के कारण तनकियात कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 2 सांवरा का शपथ पत्र, राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्धान अधिवक्ता वादीगणव राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया वाद पत्र में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार ग्राम लवेरा के वंर्किग खसरा नम्बर 223 रकबा 30–3–0, 224 रकबा 15–3–0, 225 रकबा 2–4–0, 227 रकबा 3–7–0 की आराजी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र दिनांक 14.7.06 को वादीगण को विक्रय कर कब्जा व दखल सौप दिया है। वंर्किग जमाबंदी में उक्त वंर्किग खसरा नम्बर खाता संख्या 18 में कजोड पुत्र श्रीराम के नाम खाातेदारी दर्ज है। आधार जमाबंदी सम्वत् 2059 से2078 में वंर्किग खसरा नम्बर के हाल खसरा नम्बर खाता संख्या 13 में कजोड पुत्र श्रीराम के नाम खातेदारी दर्ज है। नामान्तकरण संख्या 140 दिनांक 21.12.01 अनुसार उक्त आरजी जरियें विरासत कजोड पुत्र श्रीराम के स्थान पर कालू, मंगला, रंगलाल पि. कजोड के नाम दर्ज हुयी। इस प्रकार स्पष्ट है कि दिनांक 21.12.01 को उक्त आराजी कालू पुत्र कजोड के नाम 1/3 हिस्से के रूप में दर्ज हो गयी है। कालू पुत्र कजोड की मृत्यु दिनांक 16.1.03 को व उसकी पत्नी सायरी की मृत्यु दिनांक 11.1.03 को हो गयी है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ही कालू पुत्र कजोड के विधिक वारिस हाने के कारण आराजी मुजनाजा पर नोरत व सांवरा पित्र कजोड का 1/3 हिस्सा निहित था। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा अपना 1/3 हिस्सा वादीगण को बैचान कर दिया है। प्रतिवादीगण बावजुद तामीली प्रकरण में अनुपस्थित है। राज. पैरोकार ने भी वाद का खण्डन नही किया है। वादीगण द्वारा आराजी मुतनाजा जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र क्रय की है जिसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के प्रावधान अनुसार विक्रेता के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है। आराजी मुतनाजा वादीगण की विधिक क्रयशुदा है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रतिवादी संख्या 2 सांवरा पुत्र [illegible] शपथ पत्र से भी विक्रय के तथ्यों की ताईद होती है। विक्रय पत्र की पालना में आराजी मुतनाजा वादीगण के नाम दर्ज करने के बजाय प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के [illegible] आराजी [illegible] पत्र की पालना में वादीगण के नाम दर्ज होनी थी। अतः आराजी मुतनाजा [illegible] का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने के कारण वादीगण खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है।

अतः ग्राम व प.म. लवेरा के हाल खसरा नम्बर 371/0.02, [illegible]2/0.33, 373/0.63, 374/0.55, 375/0.27, 351/0.05, 363/0.30, 364/0.28, 365/0.13, 376/0.45 व

—3

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.01 17:07:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

363/2773 रकबा 0.22 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर कालू पुत्र कजोड हिस्सा 1/3 के स्थान पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.01 17:07:02 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

राधा बनाम नौरत

दावा बाबत :– 88, 188, 92ए राज. का. अधि0 1955, 136 भू राज. अधि. 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 170/2025
पेश करने की दिनांक – 24.07.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक नवीन गुर्जर मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम व प.म. लवेरा के हाल खसरा नम्बर 371/0.02, 372/0.33, 373/0.63, 374/0.55, 375/0.27, 351/0.05, 363/0.30, 364/0.28, 365/0.13, 376/0.45 व 363/2773 रकबा 0.22 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर कालू पुत्र कजोड हिस्सा 1/3 के स्थान पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 26 माह 11 सन् 2025 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.01 17:07:02 IST
Reason: SelfAttested